अंचल कार्यालय, महेशपुर।

राजस्व विविध वाद अभिलेख संख्या–227 / 16–17

(बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 (झारखण्ड में अंगीकृत) धारा–4 (H) के अन्तर्गत)

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
	इस वाद की कार्यवाही मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के पत्रांक 04 / रा0भू0 (दिशा निर्देश)–95 / 2016, 2074 / रा0 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार दिनांक 13.05.2016 के आलोक में अपर समाहर्त्ता के संसूचित आदेश ज्ञापांक 479 / रा0 दिनांक 14.05.2016 से अनाबादी खातान्र्तगत गैर गजरूआ आम / खास भूमि की संदेहास्पद कायम जमाबंदी की जांच संदर्भित प्राप्त निदेश के आलोक में प्रारम्भ की गई है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदित है कि मौजा–चन्द्रपुरा थाना संख्या–254 खाता संख्या–16 दाग संख्या 53 एवं 51 रकवा 04–00–00 धूर भूमि निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक 28.02.1956 बहादुर मरांडी द्वारा निबंधित क्रय एवं लगान रसीद समर्पित किया गया है। लगभग 65 वर्षो से शांतिपूर्ण दखल भोग है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक महेशपुर के द्वारा वर्णित दाग की भूमि के विरूद्ध बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–4 (H) के तहत् परिचालित कार्यवाही को स्थगित करने की अनुशंसा की गई है। अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक महेशपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार एवं अनुशंसा के आलोक में मौजा–चन्द्रपुरा थाना संख्या–254 खाता संख्या–16 दाग संख्या 53 एवं 51 रकवा 04–00–00 धूर भूमि के विरूद्ध बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–4 (H) के तहत् परिचालित राजस्व विविध वाद संख्या–227 / 16–17 को संस्थित / बन्द किया जाता है। अंचल अधिकारी महेशपुर अंचल अधिकारी महेशपुर नोटः–तकनीकी भूलवश यह वाद Transfer हो गया था जबकि यह Allow होना है। अतः इस वाद को Allow किया जाता है।	

Digitally signed by SANJAY KUMAR SINHA
Date: 2024.07.04 20:14:13 +05:30
Location: 192.168.0.103